

ज्ञापांक : ... 161... / फाठ नं 17... / वर्ष : 2017

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी सिन्दरी (धनबाद)

दिनांक : 30.12.2017

विषय : महापूरुष का आग्नेय कानून के आग्निशामक यंत्रों के जॉच कर अग्नि सुरक्षा प्रतिवेदन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बंध में।

प्रमानित किया जाता है कि महापूरुष का आग्नेय कानून के प्रबंधक के द्वारा अग्निशामक यंत्रों के जॉच करने हेतु आवेदन दिया गया था। यंत्रों को दिनांक 28.12.2017 को मेरे द्वारा जाकर जॉच किया गया। सभी अग्निशामक यंत्रों को उपयुक्त एवं कियाशील पाया गया और इस लिए वर्ष 31.12.2017 तक 30.12 के लिए अनुज्ञापित नवीकरण अनापत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जा रही है, कि महापूरुष का प्रबंधक पूरे एक वर्ष में अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को संधारण करेंगे तथा समयानुसार रिफ़ोलिंग कर लेंगे। जॉच किये गये सभी यंत्रों को सुझाव दिये गये स्थान पर रखेंगे और संधारण की कमी के कारण होने वाली खराबी की जिम्मेवारी प्रबंधक की होगी।

विश्वासभाजन

M. Dinesh Singh
30/12/2017
प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी

सिन्दरी (धनबाद)

अग्निशामालय पदाधिकारी
— सिन्दरी —